APP-A
Crim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर बाड़मेर मुकाम बाड़मेर

प्रार्थी –रावताराम बनाम अप्रार्थी – सरपंच ग्रा.पं. बांटा व अन्य

किस्म मुकदमा नं. 04 सन् 2019

प्रार्थना पत्र वास्ते पुर्नविलोकन एवं पुनः सुनवाई।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-10-19	प्रार्थी के वकील श्री ओमप्रकाश बिश्नोई उपस्थित। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र वास्ते पुर्नविलोकन एवं पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी सं. 02/2017 में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2019 का पुर्नविलोकन कर प्रकरण में प्रार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की ग्राह्यता पर सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रकट किया कि मूल निगरानी प्रार्थना पत्र में आलौच्य पट्टा सं. 13 ग्राम पंचायत बांटा द्वारा ग्राम आलपुरा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 222 में मिसल सं. 13 दिनांक 20.01.1979 के द्वारा जारी किया गया था। इसके पट्टा के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा अपनी ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री मोहनलाल को नियुक्त किया गया था, जो वर्तमान में गुड़ामालानी में स्थित न्यायालयों मे पैरवी हेतु व्यस्त होने के कारण इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए तथा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णीत हुआ हैं। इस निर्णय की नकल दिनांक 14.08.2019 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई है। किसी अधिवक्ता की गलती एवं लापरवाही की सजा पक्षकार को देना न्यायोचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित हैं। प्रार्थी अपने पट्टे के सम्बन्ध मे अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखना चाहता हैं। प्रार्थी के पक्ष मे जारी किया गया आलौच्य पट्टा ग्राम आलपुरा की आबादी भूमि मे स्थित हैं तथा सरपंच ग्राम पंचायत बांटा की शिकायत पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा धारा 91 का नोटिस जारी कर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया। इस पर प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमे तहसीलदार द्वारा कमेटी गठित कर मौका की पैमाईश की गई। सिविल न्यायालय के आदेश की अनुपालना मे की गई मौका जांच में प्रार्थी का भूखण्ड ग्राम आलपुरा की आबादी भूमि मे होना पाया गया है। प्रार्थी की ओर से यह महत्वपूर्ण तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका हैं, ऐसे में आलौच्य निर्णय का पुर्नविलोकन कर प्रार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश फरमावें।	

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पुर्नविलोकन के सम्बन्ध मे सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अवलोकन किया। किसी भी निर्णय का पुर्नविलोकन कराने हेतु प्रार्थी यदि अपने को व्यथित समझता हैं और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब आदेश किया गया था, उसके ज्ञान मे नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता हैं कि उसके विरूद्ध पारित किए गए आदेश का पुर्नविलोकन किया जाए। इस प्रार्थना पत्र मे आलौच्य निर्णय अन्तर्गत प्रकरण मे प्रार्थी का नोटिस विधिवत रूप से तामील हुआ हैं तथा उसकी ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित हुआ हैं किन्तु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत भी प्रार्थी की ओर से पैरवी नहीं की जाने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज के तथ्य प्रार्थी की जानकारी मे आलौच्य निर्णय से पूर्व में आ गये थे इसके बावजूद भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए। इसके अलावा आलौच्य आदेश एवं अभिलेख मे देखने मात्र से किसी प्रकार की भूल या गलती होना प्रतीत नहीं होती है, जिसके आधार पर आलौच्य आदेश का पुर्नविलोकन किया जावें। इस प्रकार प्रार्थी रावताराम द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र पुर्नविलोकन की आवश्यक परिस्थितियों के अभाव में सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर निर्णय शुमार हों व नम्बर से कम होकर मूल प्रकरण के हमफीता हों। आदेश आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)	